न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 34 / 24 दायरा दिनांक 18.07.2024

मुरारीलाल उम्र 72 साल पुत्र चिन्टूलाल जाति महाजन निवासी बीलखेडामाल हाल निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां वादीगण

बनाम

घनश्याम पुत्र धन्नू जाति अहीर निवासी मुंडियर तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

निर्णय–दिनांक 05.05.2025

उपस्थित– वादी की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम शाहपुर पटवार हल्का मुंडियर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान में वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 145 रकबा 0.10 बीघा सिथत है, जिसे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादी विवादित आराजी में फसल काश्त करता चला आ रहा है प्रतिवादी का खेत वादी की भूमि की सीमाओं से लगा हुआ है वादी ग्राम देवरी में निवास करता है इसी बात का फायदा उठाते हुये प्रतिवादी ने नवम्बर 2023 में विवादित आराजी को हांक जोत कर फसल बो दी। वादी ने दिनांक 14.06.2024 को अपनी भूमि की पैमायश करवाई तो वादी के खेत की भूमि प्रतिवादी के नाजायज कब्जे में निकली वादी ने प्रतिवादी से कब्जा छोडने बावत कहा तो प्रतिवादी ने कब्जा छोडने से साफ इनकार कर दिया प्रतिवादी का विवादित आराजी में कोई हक या अधिकार नहीं है प्रतिवादी ने विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी का यह कृत्य अवेधानिक है वादी प्रतिवादी को बेदखल करा कर विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करने तथा अतिक्रमण की अवधि का फसल मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद कारण नवम्बर 2023 में प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी पर अनाधिकार कब्जा करने तथा दिनांक 14.06.24 को पैमायश अनुसार प्रतिवादी द्वारा वादी की विवादित आराजी से कब्जा छोडने की कहने के उपरांत भी कब्जा नहीं छोडने पर बमुकाम ग्राम शाहपुर उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से सम्माननीय न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्यायशुल्क सहित प्रस्तुत है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को विवादित आराजी से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे तथा अतिक्रमण काल का फसल मुआवजा दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:48:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं वादी मुरारीलाल के बयान कराये और नकल नक्शा ग्राम शाहपुर को

05/05/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम शाहपुर संवत 2077–80 खाता संख्या 175 को प्रदर्श 2 तथा पैमायश रिपोर्ट दिनांक 14.06.24 को प्रदर्श 3 के रूप में प्रदर्श कराया।

वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 2 जमाबंदी अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 145 रकबा 0.10 बीघा वादी के रिकार्डेड खातेदारी की होना प्रमाणित है, जिस पर पैमायश रिपोर्ट प्रदर्श 3 अनुसार प्रतिवादी का कब्जा होना प्रमाणित है। प्रतिवादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जो विवादित आराजी पर प्रतिवादी के कब्जे को वैध ठहराता हो, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी की हेसियत विवादित आराजी पर अतिक्रमी की होना साबित है, जो बेदखल किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी के खाते की विवादित आराजी ख0नं0 145 रकबा 0.10 बीघा ग्राम शाहपुर तहसील शाहाबाद पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है। पालनार्थ तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

05/05/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:48:47 IST
Reason: SelfAttested